(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

Tr. No. : Tr. No. 12/2023 dt 31-3-23 प्रकरण दर्ज दिनांक ....

पक्षकार : Smt. मनु किरण ओग्रे V/s मनुष्य-रूम्मर प्रकरण क्रमांक : Exe.m.PRO.2020-01014

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/05/23	प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदक द्वारा श्री शुक्ला अधि.। अनावेदक द्वारा अनुपस्थित। अनावेदक अधि. को बार बार वी.सी. ज्वाईन करने हेतु कॉल किया गया उन्होंने कॉल नहीं उठाया। प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04/12/2019 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 5,23,228 रू. (पांच लाख तेईस हजार दो सौ अठ्ाईस रू. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अपील क्रमांक 15/22 को माननीय अपील अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया हैं। अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान नहीं किया हैं। आवेदक ने, निष्पादन आवेदन में, आदेशित राशि आर.आर.सी. के माध्यम से ही वसूली किये जाने का निवेदन किया हैं। अतः आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा– 40(1) छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः Rs. 5,23,228 रू. (पांच लाख तेईस हजार दो सौ अठ्ाईस रू. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	

Scanned with CamScanner